न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 104/2025(GCMS 2025/415)

श्री नक्षत्र सिंह पुत्र श्री हमीर सिंह निवासी वार्ड नं. 24, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 88750–89377)

बनाम

तहसीलदार (भू.अ.), रायसिंहनगर

10.12.2025

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी नक्षत्र सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.09.2025 से तहसीलदार (भू.अ.), रायसिहनगर से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई, इसलिए अपीलार्थी ने प्रथम अपील पेश कर, सहायक लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि नक्षत्र सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.09.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी :

> मण्डी रायसिंहनगर के वार्ड संख्या 30 में जिस भूमि पर वर्तमान में न्यायिक भवन का निर्माण किया जा रहा है। वह भूमि न्यायिक भवन से पहले जिस नाम से आपके रिकॉर्ड में दर्ज है, उस रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ./2025/6371 दिनांक 24.11.2025 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि अपीलार्थी नक्षत्र सिंह द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई सूचना निम्न प्रकार है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:54:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 104 / 2025
(GCMS No. 2025/415)
(RTI)

1. मण्डी रायसिंहनगर में जिस भूमि पर न्यायिक भवन का निर्माण किया जा रहा है, वह भूमि चक 23 पीएसबी में मु.नं. 9 के कि.नं. 17 / 1 / 0.041, 18 / 2 / 0.048, 19 / 1 / 0.001, 22 / 2 / 0.097, 23 / 1 / 0.211, 24 / 2 / 0.064 कुल 0.462 है. आवासीय न्यायिक विभाग रायसिंहनगर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।
2. यह भूमि कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक एफ40(33)सामान्य / 2019 / 655–657 दिनांक 21.01.2021 की पालना में श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के आदेश क्रमांक राजस्व / 2021 / 1961 दिनांक 26.01.2021 की पालना में तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा नामान्तरण संख्या 1 दिनांक 02.02.2021 को स्वीकृत किया गया।
3. न्यायिक भवन की यह भूमि पूर्व में आराजीराज गैर मुमकिन आबादी दर्ज थी।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.), रायसिंहनगर ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश / निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अ[illegible] प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सू[illegible] जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा स[illegible] है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की** कोई गुंजाईश

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:54:32 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

नही है। इसलिए **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं** तहसीलदार **(भू.अ.), रायसिंहनगर** द्वारा अपील का जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, परन्तु तहसीलदार (भू.अ.), रायसिंहनगर ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे ज्ञात नहीं होता हो कि तहसीलदार, रायसिंहनगर द्वारा प्रार्थी को कोई जवाब दिया गया है अथवा नहीं? इसलिए तहसीलदार (भू.अ.), रायसिंहनगर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी को पूर्व में कोई जवाब/सूचना नहीं दी गई हो तो उसे निर्णय प्राप्ति के 7 दिवस में जवाब दिया जाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.), रायसिंहनगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:54:32 IST
Reason: SelfAttested